संख्या-07/2021/324/86-2021-01(बजट)/2019

प्रेषक,

डा0 रोशन जैकब,

सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

भूतत्व एवं खनिकर्म,

उ0प्र0 लखनऊ।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊः दिनांक 09 मार्च, 2021

विषयः-खनिजों के अवैध परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु जनपद जालौन (कालपी) में एन0एच0ए0आई0 पर स्थापित चेकगेट्स हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-2720/87ए 478(प्रस्तुतीकरण) दिनांक 11.02.2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में जनपद जालौन के कालपी-कानपुर मार्ग पर लगे कैन्टीलीवर के स्थान पर गैन्ट्री लगाये जाने हेतु उत्तर प्रदेश डेवलपमेन्ट सिस्टम कारपोरेशन लिमिटेड (उ0प्र0 सरकार का उपक्रम) द्वितीय तल, अपट्रान बिल्डिंग, निकट गोमती बैराज, गोमती नगर लखनऊ, के पक्ष में अनुदान संख्या-04 उद्योग विभाग (खाने और खनिज) के पूंजी लेखाशीर्षक-''4853-01-800-04-0401-एक मुश्त व्यवस्था'' के मानक मद-''26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्रण'' में प्राविधानित धनराशि रू0 300.00 लाख के सापेक्ष रू0 8,25,528.00 (रूपये आठ लाख पच्चीस हजार पांच सौ अट्ठाइस मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्द्वारा श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय, निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों का अनुपालन करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जायेगाः-

(1) प्रस्तावित सामग्री/उपकरणों/मशीनों का क्रय निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया जायेगा तथा इस संबंध में शासन स्तर से समय-समय पर जारी क्रय नियमों/प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि क्रय की जा रही सामग्री/उपकरणों/मशीनों की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप हो।

(3) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सामग्री/उपकरणों/मशीनों के क्रय में किसी प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होगी।

(4) आंकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता सुनिश्चित की जायेगी।

(5) यथा समय व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

3. स्वीकृत धनराशि से होने वाले व्यय को अनुदान संख्या-04-उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के पूंजी लेखाशीर्षक-''4853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूजीगत परिव्यय-01-खनिज अन्वेषण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

तथा विकास-800-अन्य व्यय-04-खनन विकास की योजनाओं-0401-एक मुश्त व्यवस्था के मानक मद-26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयत्रण'' के नामें डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2020/बी-1-149/ दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020 एवं शासनादेश संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020,दिनांक 11.04.2020 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

डा0 रोशन जैकब
सचिव।

संख्याः324(1)/86-2021,तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार लेखा-परीक्षा (प्रथम/द्वितीय) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक, भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4. निदेशक, उद्योग (सामग्री क्रय अनुभाग), उ0प्र0, कानपुर।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2/3
7. वित्त (लेखा) अनुभाग-1
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हृदय नारायण सिंह यादव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।